22

गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
गौतम बुद्ध नगर

प्रबन्ध बोर्ड की तृतीय बैठक के कार्यवृत्त

गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की तृतीय बैठक दिनाँकः 18 फरवरी, 2009 को अपरान्ह 2.30 बजे कुलपति महोदय की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के बोर्ड रूम में सम्पन्न हुई जिसमें निम्न सदस्यों ने भाग लिया :

1. प्रो0 रामसिंह निर्जर ...... अध्यक्ष
कुलपति
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
गौतम बुद्ध नगर

3. प्रो0 राम कुमार गरवा ...... सदस्य
4 सी0 मोती बांध रोड
पोस्ट- निन्देर
विश्वकर्मा इन्डस्ट्रीयल एरिया (वीकेआईए)
जयपुर

4. प्रो0 रणजीत सिंह ...... सदस्य
पूर्व निदेशक
नेताजी सुभाष इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी
डी0 - 42, आयुध विहार सेक्टर -13,
प्लाट नं0 - 03, द्वारिका
नई दिल्ली

5. प्रो0 ऋषि राज गौड़ ...... सदस्य
डिपार्टमेंट आफ मैकेनिकल इन्जी0
इन्डियन इन्सटीट्यूट आफ टेक्नालोजी,हौजखास
नई दिल्ली

6. प्रो0 सुशील कुमार ...... सदस्य
डीन, स्कूल आफ मैनेजमेन्ट
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
गौतम बुद्ध नगर

7. प्रो0 महावीर सिंह ..... सदस्य
डीन, स्कूल आफ हयूमैनिटिज एण्ड सोशल साइंसेज
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
गौतम बुद्ध नगर

(2)

8. प्रो0 ब्रम्हजीत सिंह ...... सदस्य
डिपार्टमेंट आफ इलेकट्रानिकस
नेशनल इन्सटीट्यूट आफ टेक्नोलाजी
कुरुक्षेत्र

9. श्री ओमवीर सिंह ...... सचिव
कुल-सचिव
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
गौतम बुद्ध नगर

10. श्री जगदीश चन्द्र ...... विशेष आमंत्रित
महाप्रबन्धक वित्त
ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण एवं
वित्त अधिकारी
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
ग्रेटर नोएडा

11. महाप्रबन्धक परियोजना ...... विशेष आमंत्रित
ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण
ग्रेटर नोएडा ।

बैठक में जो सदस्य/आमंत्रित सदस्य उपस्थित नहीं हो सके :

1. प्रो0 आर0 ए0 यादव
अध्यक्ष
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
नई दिल्ली

2. प्रतिनिधि
औद्योगिक विकास विभाग,
लाल बहादुर शास्त्री भवन
लखनऊ

3. प्रो0 शेर अली
नेशनल इन्सटीट्यूट आफ इमयूनोलोजी
जे0एन0यू0 कैम्पस,
नई दिल्ली

4. प्रो0 मुकुल गुप्ता
डीन रिसर्च एण्ड बिजनेस डवलपमेंट
मैनेजमेंट डवलपमेंट इन्सटीट्यूट पो0 बा0 न0 60,
मेहरौली रोड, सुखराली,
गुड़गांव- 122 001

कार्यवाही का विवरण

09.03.01 **प्रबन्ध बोर्ड की दिनाँकः 20 सितम्बर, 2008 को सम्पन्न हुई द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।**

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की दिनाँकः 20, सितम्बर, 2008 को सम्पन्न हुई द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त पर समिति के सदस्यों ने अपना अनुमोदन प्रदान किया।

(20)

09.03.02 **प्रबन्ध बोर्ड की दिनाँकः 20 सितम्बर, 2008 को सम्पन्न हुई द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त पर कृत कार्यवाही का विवरण।**

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की दिनाँकः20,सितम्बर,2008 को सम्पन्न हुई द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त पर कृत कार्यवाही से समिति के सदस्यों ने अपनी सहमति व्यक्त की एवं अनुमोदन प्रदान किया।

09.03.03 **विश्वविद्यालय में शैक्षिक पदों के संवर्गानुसार व्यवस्था के सन्दर्भ में विचार एवं अनुमोदन।**

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय में सृजित शैक्षिक पदों के संवर्गानुसार व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड ने विचारोपरान्त निम्नानुसार अनुमोदित किया:

स्कूल आफ स्टडीज	प्रोफेसर/ एशोसिएट प्रोफेसर	असिस्टेंट प्रोफेसर	रिसर्च एसोशिएट
स्कूल आफ मैनेजमेंट	06	12	06
स्कूल आफ इंजी0 एण्ड डिजाइन	01	02	01
स्कूल आफ आई0सी0टी0	03	06	03
बायोटेक	03	06	03
हयूमिनिटी एण्ड सोशल साइंसेज	02 पद किसी भी सम्वर्ग में		
स्कूल आफ बुद्धिस्ट स्टडीज एवं सिविलाइजेशन	02 पद किसी भी सम्वर्ग में		
स्कूल आफ लॉ	02 पद किसी भी सम्वर्ग में		
कारपोरेट इन्टरेक्शन (मैनेजर)	---	01	---

अतः स्कूल आफ मैनेजमेंट जिसमें शैक्षिक-कार्य सत्र 2008 से आरम्भ हो चुका है, में अगले सत्र की आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञता के आधार पर विवरण निम्नानुसार हैः

Specialization	Professor/ Associate Professor	Assistant Professor	Research Associate
H.R./O.B.	01	02	06 posts open for any specialization
Finance	01	02	
Marketing	01	02	
Operation Management	02 Posts at any level		
Operation Research	02 Posts at any level		
Strategic Management	02 Posts at any level		
Business Economics	01 Post at any level		
Business Communication	01 Post at any level		
Corporate Governance	01 Post at any level		

विश्वविद्यालय में सृजित रिसर्च एसोशिएट के पद अध्यादेश की धारा (3.3) के अनुसार पूर्णकालिक शैक्षिक पद हैं बोर्ड ने

(19)

यह निर्णय किया कि रिसर्च एसोशिएट के पद के शैक्षिक कार्य–दायित्वों को देखते हुये समानार्थी के रूप में उन्हें फैकल्टी एसोशिएट का पद नाम भी कहा जाये। उक्त पद पर नियुक्त अभ्यर्थियों के कार्य–दायित्व पूर्ववत् रहेंगे।

09.03.04 विश्वविद्यालय हेतु आवश्यक शैक्षिक, एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन पर विचार एवं अनुमोदन।

प्रबन्ध बोर्ड ने संलग्न प्रस्ताव पर विचार किया तथा निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये आवश्यक शैक्षिक, एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद सृजित कर लिये जायें तथा इन पदों पर नियुक्ति अधिनियम में प्राविधानित व्यवस्था के आधार पर की जाये। शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पदों की सूची निम्नानुसार हैः–

शैक्षिक पदों का विवरणः

कम सं0	सृजित होने वाले पदों का विवरण	पदो की सं0
1.	स्कूल आफ बायोटैक्नोलोजी	04

शिक्षणेत्तर पदों का विवरणः

कम सं0	सृजित होने वाले पदों का विवरण	पदो की सं0	वेतनमान
1.	असिस्टेंट सिस्टम मैनेजर	01	10000-325-15200
2.	एकेडमिक एसोसिएट टू वाइस चॉसलर	01	6500-200-10500

09.03.05 विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न शैक्षिक पदों पर चयन समितियों द्वारा की गई संस्तुतियों पर विचार एवं अनुमोदन।

विश्वविद्यालय के अध्यादेश की धारा (4) के अनुरुप गठित चयन समितियों द्वारा जनवरी के तृतीय सप्ताह में आयोजित साक्षात्कारों में विभिन्न विभागों में शैक्षिक पदों पर नियुक्ति हेतु की गई संस्तुतियाँ बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी। इस सम्बन्ध में स्कूल आफ मैनेजमेंट में मार्केटिंग में चयन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय में सेवारत (आन्तरिक) अभ्यर्थी की आचरण आख्या पर भी विचार किया।

प्रबन्ध बोर्ड ने सम्यक विचारोपरान्त विभिन्न चयन समितियों द्वारा अनुशंसित जिन अभ्यर्थियों के चयन को अनुमोदन प्रदान किया, उनका विवरण निम्न प्रकार हैः

(10)

(अ) इन्फारमेशन एण्ड कम्युनिकेशन टैक्नोलॉजी (**Information & Comm. Tech.**)

क्रम संख्या	नाम	पद नाम	संस्तुत मूलवेतन
1.	डा0 संजय जसोला	प्रोफेसर	रू0 18400/-
2.	डा0 एस0के0 श्रीवास्तव	प्रोफेसर	वेतन संरक्षण
3.	डा0 राजीव अग्रवाल	एसोसिएट प्रोफेसर	रू0 16400/-
4.	डा0 इला कुमार	एसोसिएट प्रोफेसर	रू0 16400/-
5.	डा0 अनीता गोयल	असिस्टेंट प्रोफेसर	रू0 12000/-
6.	डा0 नीता सिंह	रिसर्च एसोसिएट	रू0 25000/- प्रति माह (समेकित)

(ब) बायो टैक्नोलॉजी (**Bio Technology**)

क्रम संख्या	नाम	पद नाम	संस्तुत मूलवेतन
1.	डा0 राजीव कौल	असिस्टेंट प्रोफेसर	रू0 13260/-
2.	डा0 भूपेन्द्र चौधरी	असिस्टेंट प्रोफेसर	रू0 13260/-
3.	डा0 जय प्रकाश मुयाल	असिस्टेंट प्रोफेसर	रू0 12840/-
4.	डा0 शक्ति शाही	असिस्टेंट प्रोफेसर	रू0 12840/-
5.	डा0 तशफीन अशरफ	रिसर्च एसोसिएट	रू0 25000/- प्रति माह (समेकित)
6.	डा0 अब्दुल आरिफ खान	रिसर्च एसोसिएट	रू0 25000/- प्रति माह (समेकित)

निम्नांकित दो अभ्यर्थी विदेश (अमेरिका) में कार्यरत है उनकी उपयुक्ता के बारे में चयन समिति ने अनुपस्थिति (inabsentia) में विचार किया:

1. डा0 शशि कुमार
2. डा0 वासिम नासिर

उक्त अभ्यर्थियों को चयन समिति ने असिस्टेन्ट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए संस्तुत किया किन्तु नियुक्ति से पूर्व उन्हें कुलपति द्वारा नियुक्त समिति के सम्मुख साक्षात्कार/व्यक्तिगत विचार–विमर्श के लिए उपस्थित होना होगा।

(स) मैनेजमेंट (**Management**):
हयूमन रिर्सोस/ओरगनाइजेशन बिहेवियर
(**Human Resorce/Organization Behaviour**)

क्रम संख्या	नाम	पद नाम	संस्तुत मूलवेतन
1.	डा0राकेश कुमार अग्रवाल	एसोसियेट प्रोफेसर	रू0 16400/-
2.	डा0 लवी सारिकवाल	असिस्टेंट प्रोफेसर	रू0 12000/-
3.	डा0 वर्षा दीक्षित*	रिसर्च एसोसिएट/* असिस्टेंट प्रोफेसर	नियमानुसार/ मूलवेतन

*पी0एच0डी0 की उपाधि प्राप्त होने के पश्चात असिस्टेन्ट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति प्रस्तावित ।

(17)

आपरेशन रिसर्च/आपरेशन मैनेजमेंट
(Operation Research/Operation Management)

कम संख्या	नाम	पद नाम	संस्तुत मूलवेतन
1.	डा0 मनीषा शर्मा	असिस्टेंट प्रोफेसर	रू0 12420/-
2.	डा0 अखिलेश बर्वे	असिस्टेंट प्रोफेसर	रू0 12420/-

फाइनेन्स **(Finance)**

कम संख्या	नाम	पद नाम	संस्तुत मूलवेतन
1.	श्री प्रशान्त गुप्ता*	एसोसिएट प्रोफेसर*	नियमानुसार
2.	डा0 दिनेश कुमार शर्मा	असिस्टेंट प्रोफेसर	रू0 14100/-

*पी0एच0डी0 की उपाधि प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्रभावी होगी।

स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट **(Strategic Management)**

कम संख्या	नाम	पद नाम	संस्तुत मूलवेतन
कोई नाम संस्तुत नहीं			

मार्केटिंग **(Marketing)**

कम संख्या	नाम	पद नाम	संस्तुत मूलवेतन
1.	डा0 नीरज पाण्डे	असिस्टेंट प्रोफेसर	रू0 14100/-
2.	डा0 मोहित मार्य	असिस्टेंट प्रोफेसर	रू0 13260/-

बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि रिक्त पद उपलब्ध होने पर चयन की संस्तुतियाँ छः माह तक वैध मानी जाये तथा तत्पश्चात सन्दर्भित चयन पैनल को निरस्त समझा जाये।

09.03.06 <u>विश्वविद्यालय में विभिन्न केन्द्रीय/ प्रदेशीय सेवाओं अथवा केन्द्र/राज्य द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालयों/ संस्थानों से कार्यभार ग्रहण करने वाले संकाय सदस्यों/कर्मचारियों की सेवाओं को विश्वविद्यालय में विलय किये जाने पर विचार एवं अनुमोदन।</u>

प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्यों ने विश्वविद्यालय में प्रतिष्ठित एवं अनुभवी शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति को प्राथमिकता दिये जाने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए निर्णय लिया कि

16

विश्वविद्यालय को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान के रूप में स्थापित किया जाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। अतः अभ्यर्थियों की उत्कृष्टता सुनिश्चित करने को दृष्टिगत रखते हुये केन्द्रीय/राजकीय विश्वविद्यालयों/ संस्थानों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों तथा अन्य संस्थान जहाँ पर विश्वविद्यालय की उपयोगिता के अनुरूप शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर अधिकारियों/ कर्मचारियों उपयुक्त पाये जाये उन्हें विश्वविद्यालय में अवश्य ही नियुक्त किया जाये।

बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि इन संस्थानों से विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने वाले शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हितों को संरक्षित रखा जाये एवं उनकी पूर्व की सेवाओं को कर्मचारियों के अच्छे आचरण एवं कार्य-दक्षता के आधार पर नियमितीकरण किये जाने की स्थिति में पूर्व सेवाओं को विश्वविद्यालय में विलय कर लिया जाये। उन्हें पूर्व में जो भी लाभ (नियुक्ति दिनाँकः 01.01. 2004 से पूर्व पेंशन की सुविधा सहित) उपलब्ध थे, वह भी तदनुरूप प्रदान किये जाये।

09.03.07 <u>एम0बी0ए0 के द्वितीय सत्र तथा एम0टेक (बायोटैक्नोलौजी) एवं (सूचना प्रौद्योगिकी) में प्रवेश हेतु शुल्क निर्धारण एवं अन्य व्यवस्थाओं पर विचार एवं अनुमोदन।</u>

प्रबन्ध बोर्ड ने विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शुल्क को पुनरीक्षित किये जाने के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि निम्न विवरणानुसार एम0बी0ए0 के द्वितीय सत्र हेतु शुल्क निर्धारित किया जायेः-

(1) एम0बी0ए0 के द्वितीय सत्र हेतु फीस का विवरणः

कोर्स	शैक्षिक शुल्क (प्रति वर्ष)	छात्रावास शुल्क (प्रति वर्ष)	काशन मनी/ पंजीकरण
एम.बी.ए.	2.10	0.30	0.10

विश्वविद्यालय द्वारा प्रारम्भ किये जा रहे दो नये पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तावित शुल्क को निम्नानुसार निर्धारित करने का निर्णय लियाः-

(2) एम0टेक (बायोटेक्नोलाजी) के हेतु फीस का विवरणः

कोर्स	शैक्षिक शुल्क (प्रति वर्ष)	छात्रावास शुल्क (प्रति वर्ष)	काशनमनी/ पंजीकरण
एम0टेक	0.60	0.30	0.10

(3) एम0टेक (आई0सी0टी0) के हेतु फीस का विवरणः

कोर्स	शैक्षिक शुल्क (प्रति वर्ष)	छात्रावास शुल्क (प्रति वर्ष)	काशन मनी/ पंजीकरण
एम0टेक	0.60	0.30	0.10

अनुसूचित वर्ग के छात्रों के लिये शैक्षिक शुल्क 50 प्रतिशत देय होगा।

09.03.08 <u>विश्वविद्यालय में वर्ष 2009 हेतु प्रस्तावित अवकाश तालिका पर विचार एवं अनुमोदन।</u>

प्रबन्ध बोर्ड ने विश्वविद्यालय में वर्ष 2009 हेतु लागू होने वाली अवकाश तालिका का अवलोकन किया एवं अनुमोदन प्रदान किया।

09.03.09 <u>व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष 2008-09 का पुनरीक्षित बजट एवं वित्तीय वर्ष 2009-10 का अनुमानित बजट प्रबन्ध बोर्ड को सूचनार्थ प्रस्तुत।</u>

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 का पुनरीक्षित बजट एवं वित्तीय वर्ष 2009-10 का अनुमानित बजट सम्यक विचारोपरान्त अनुमोदित किया।

09.03.10 <u>विद्या परिषद की सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त प्रबन्ध बोर्ड को सूचनार्थ प्रस्तुत ।</u>

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विद्या परिषद की दिनाँक 24 नवम्बर 2008 को सम्पन्न हुई प्रथम बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन किया एवं अनुमोदन प्रदान किया।

09.03.11 <u>वित्त समिति की सम्पन्न हुई प्रथम बैठक का कार्यवृत्त प्रबन्ध बोर्ड को सूचनार्थ प्रस्तुत ।</u>

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा वित्त समिति की दिनाँकः 19 सितम्बर 2008 को सम्पन्न हुई प्रथम बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन किया एवं अनुमोदन प्रदान किया।

09.03.12 **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य विषय पर विचार एवं स्वीकृति।**

(क) **देश के लब्ध प्रतिष्ठित संस्थानों (पैतृक विभाग) से प्रति नियुक्ति पर आकर विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने पर विचार एवं अनुमोदन।**

प्रबन्ध बोर्ड ने प्रतिनियुक्ति पर आकर कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी अपने पैतृक विभाग से प्रतिनियुक्ति /अवकाश पर रहकर विश्वविद्यालय में अपना पदभार ग्रहण करना चाहे तो पदभार ग्रहण कर सकता है। प्रतिबन्ध यह होगा कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारी/कर्मचारी को कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।

(ख) **अध्यादेश में आवश्यक संशोधन पर विचार एवं अनुमोदन।**

प्रबन्ध बोर्ड ने सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के अध्यादेश की धारा (1) में उपधारा 1.4 का प्रावधान करने का निर्णय लिया जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

1.4 Deans Co-ordinating University level activities

(i) In order to co-ordinate the various activities at University level the following Deans shall be appointed
  - (a) Dean Academics
  - (b) Dean Planning
  - (c) Dean Research
  - (d) Dean Student affairs

(ii) Co-ordinating Deans shall be appointed by the Vice-Chancellor in such manner to exercise such powers and perform such duties as may be laid down in the Ordinances. Provided that when the office of the Dean is vacant or when the Dean is by reason of illeness or absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice – Chancellor may appoint for the purpose.

(iii) The Dean shall be the Professor of any School of Studies and shall be responsible for the conduct and standerd of teaching and research in the Schools. He shall have such other functions as may be laid down in the Ordinances.

(iv) The Dean shall have the right to be present and to speak at any meeting of a board or committee of the Department, School as the case may be, but not the right to vote thereat unless he is a member thereof.

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

19.02.09.
(ओमवीर सिंह)
सचिव प्रबन्ध बोर्ड
एवं कुल-सचिव
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
गौतम बुद्ध नगर ।

19.02.09.
(राम सिंह निर्जर)
अध्यक्ष प्रबन्ध बोर्ड
एवं कुलपति
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
गौतम बुद्ध नगर ।